न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्या 255/2022
प्रकरण दायर दिनांक 18.08.2022
प्रकरण निर्णय दिनांक 12.10.2022

उनवान

1. श्रीमती कौशल्या देवी उम्र 73 वर्ष पुत्री रामनिवास पत्नी स्व. श्री राधाकिशन जाति बैरवा निवासी नांगवास, बडियाल खुर्द हाल निवासी आशापुरा बांदीकुई तहसील बांदीकुई

बनाम

1. जगदीश प्रसाद उम्र 60 वर्ष पुत्र रामनिवास
2. मदनमोहन उम्र 55 वर्ष पुत्र रामनिवास
   जाति बैरवा निवासी नांगवास बडियाल खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा
3. शांति देवी उम्र 70 वर्ष पुत्री रामनिवास पत्नी रामस्वरूप जाति बैरवा निवासी इन्दिरा नगर झालाना डूंगरी जयपुर
4. शीला देवी उम्र 55 वर्ष पुत्री रामनिवास पत्नी शिवदयाल जाति बैरवा निवासी रूपाडी का बेडा शहादत गंज लाली पलटन टोंक शहर टोंक राज.
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जिला दौसा

"दावा उदघोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा"

–:: निर्णय ::–

वादिया द्वारा वाद उद्घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती इस आशय से पेश किया कि रामा नांगवास तहसील बसवा स्थित भूमि खसरा न. 42 से 45, 367, 369, 371, 373, 403,422,450 किता 9 रकवा 1.90 हैक्टे. में वादिया एवं प्रतिवादी 1 व 2 इन्द्राज जमाबंदी 2073–76 एवं ख.नं. 347 से 355, 359 से 363, 372,374,375 किता 17 रकबा 2.93 हैक्टे. में वादिया एवं प्रतिवादी 1 से 4 का इन्द्राज हे भूमि अविभाजित है। सिजरा खानदान के पिता रामनिवास की सम्पति में वादिया हि. 1/5 की घोषणा कराने की अधिकारी है वाद के संलग्न नकल जमाबंदी ग्राम नांगवास संवत् 2073–76 खाता संख्या 29–25 खाता संख्या 36–63 पेश किया, प्रकरण दर्ज रजि0 कर तलबी प्रतिवादी जर्ये सम्मन की गई। उभयपक्ष द्वारा राजीनामा तहरीर मय वकील उपस्थित न्यायालय होकर पेश किया तथा राजीनामा पर हस्ताक्षर किये। उभयपक्ष ने राजीनामा पढ सुनकर स्वीकार किया, वादिया पहचान अधिवक्ता श्री अमरसिंह गुर्जर एवं प्रतिवादीगण पहचान श्री विनोद विजय अधिवक्ता द्वारा की गई। तत्पश्चात राजीनामा उभयपक्ष शामिल पत्रावली किया गया।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा बाबत बहस वकुलाय सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता द्वारा राजीनामा अनुसार वादिया वाद डिक्री किये जाने का अनुरोध किया। हमने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात राजीनामा का अवलोकन किया, राजीनामा में प्रस्तुत सिजरा खानदान एवं रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र के मध्यनजर वादिया एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वाद पत्र डिक्री किया [illegible] प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादीनी वा[illegible] उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 12.09.2022 को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता [illegible] नागवास तहसील बसवा स्थित भूमि जो राजीनामा के पैरा नं. 01 में [illegible] 371, 373, [illegible] 450 किता 11 रकबा 1.90 हैक्टे0 में वादीनी को हि0 1/5 [illegible] प्रतिवादी संख्या 1, 2 को [illegible] 5 का बराबर–बराबर खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि संवत् 2073–76 राजस्व जमाबंदी में वर्तमान इन्द्राज वादीनी एवं प्रतिवादी नं. 1 से 4 हजफ किया जाता है तथा राजीनामें के

उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2023.02.15 14:14:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जिम्मन नं. 2 में वर्णित भूमि ख. नं. 347 से 355, 359 से 363, 372 से 375 किता 17 रकबा 2.93 हैक्टे0 में वादीनी एवं प्रतिवादी नं. 1 से 4 के नाम दर्ज हिस्से के स्थान पर हि0 1/30 की खातेदार वादीनी एवं 13/120 हिस्से का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 01 व 13/120 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी नं. 2 को घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि में वादीनी व प्रतिवादी 1 से 4 के नाम वर्तमान इन्द्राजात को हजफ किया जाता है राजीनामा निर्णय का पार्ट रहेगा। डिकी पर्चा जारी हो। तहसीलदार बांदीकुई तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत अमल दरामद करे, तहरीर जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

(नीरज कुमार मीना)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2023.02.15 14:14:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner